

निर्णय दिनांक :-

वादीया की ओर श्री शिवशंकर व्यास व प्रतिवादी .1, 2 ओर से श्री रमेशदास पुरोहित अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 30.12.20 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर राजीनामा अनुसार वाद वादी डिकी करते हुये घोषणा की जाती है कि चक 7 एसएनएम सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं० 139 में दर्ज 6.072 हैक्टेयर तथा चक 10 एसटीजी सम्वत् 2074 से 77 खाता सं० 121 में दर्ज 0.253 हैक्टेयर कुल तादादी 6.325 हैक्टेयर भूमि में राजस्व अभिलेख में हरिशंकर पुत्र शिवशंकर व्यास के नाम दर्ज है राजीनामा के अनुसार वादीया व दोनो प्रतिवादीगण अर्थात श्रीमति वन्दना व महेश व्यास व श्रीमति पुष्पादेवी तीनों के नाम बहिरसा बराबर सयुक्त रूप से तीनों के नाम बहिरसा बराबर खातेदार दर्ज करने की घोषणा की जाती है।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे। यह डिकी आज दिनांक 30.12.20 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

मिलान किया

सत्यमेव जयते

प्रमाणित प्रतिलिपि

Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

